

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक एफ.7(93)गृह-12/कारा/2016

महानिदेशक कारागार,
राज. जयपुर।

19-01-17
जयपुर, दिनांक 19-01-17

विषय:-बजट घोषणा वर्ष 2016-17 की घोषणा संख्या 233.14 की क्रियान्विति के संबंध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्र क्रमांक सामान्य/28/2013/पार्ट/34371 दिनांक 27.09.2016 एवं 43901 दिनांक 03.12.2016


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार बजट घोषणा वर्ष 2016-17 की घोषणा संख्या 233.14 की क्रियान्विति के क्रम में 25 कारागारों पर पूर्व में ही सुविधा उपलब्ध होने के कारण केवल 8 कारागारों हेतु Capex (Capital Expenditure) के अन्तर्गत Router, UPS, Switch, Network 4U Rack, Lan Cabling इत्यादि विभिन्न उपकरण क्रय किये जाने हेतु राशि रु. 8.86 लाख (अक्षरे रूपये आठ लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

25 कारागारों पर 2 mbps की कनेक्टिविटी उपलब्ध है। 25 जेलों की साईट्स पर Opex (Operration Expenditure) के अन्तर्गत उक्त 2 mbps को अपग्रेड किये जाने तथा 8 नवीन कारागारों पर 4 mbps connectivity स्थापना सहित कुल 33 कारागारों हेतु विभाग ने राशि रु. 21.59 लाख वार्षिक (राशि रु. 1.80 लाख मासिक) आवर्तक व्यय भार अवगत कराया है। अतः चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के तीन माह की राशि रु. 5.40 लाख (अक्षरे रूपये पांच लाख चालीस हजार मात्र) के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

साथ ही बजट मद 2056-101-(06)-(00)-18 (आयोजना) में उपलब्ध प्रावधान राशि रु. 917.10 लाख में से राशि रु. 14.26 लाख (राशि 8.86 + राशि रु. 5.40) के व्यय हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को आहरण वितरण अधिकार प्रदान किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. विभाग उक्त व्यय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना करते हुये किया जाना सुनिश्चित करेगा।
2. विभाग वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप एवं प्राथमिकता के अनुसार क्रय/व्यय किया जाना सुनिश्चित करेगा।
3. परियोजना रिपोर्ट में वर्णित है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, उन स्थानों पर कार्य नहीं करेगी, जिन कारागारों पर जैमर स्थापित हो चुके हैं। अतः कारागार विभाग इस तथ्य व होने वाले प्रभावों की भी समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।


(योगेश कुमार श्रीवास्तव)
शासन उप सहायक गृह

